(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2258–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–5–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नजूल गोविंदपुरा तहसील हुजूर भोपाल, प्रकरण कमांक 11/अ–12/2011–12

.....

1–श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री के0एल0जैन
निवासी 32 सी शहंशा गार्डन, रायसेन रोड,
भोपाल
2–श्रीमती एकता जैन पत्नी श्री सचिन्द्र जैन
निवासी 752–ए, न्यू अशोका गार्डन, भोपाल ..... आवेदकगण

विरूद्ध

तुलसीराम लोधी आत्मज बालमुकुन्द लोधी,
निवासी ग्राम दामखेड़ा पटवारी हल्का नं.21,
विकासखण्ड फंदा, तहसील हुजूर जिला भोपाल ..... अनावेदक

.....

श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री के0एस0राजपूत, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नजूल गोविंदपुरा तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम दामखेड़ा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 150/1/1/1/1/1 एवं 150/1/1/1/2 कुल रकबा 0.74 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–12/2011–12 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये । राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 23–5–2012 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इसी प्रतिवेदन दिनांक 23–5–12 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना आवेदकगण की उपस्थिति में उनके पीठ पीछे सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचन नहीं दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन कार्यवाही नहीं की गई है, इस कारण भी सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सभी हितबद्ध पड़ोसी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र पर ही उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि

का सीमांकन किया गया है और यदि आवेदिका उक्त सीमांकन से संतुष्ट नहीं है तब तहसील न्यायालय को आवेदिका की संतुष्टि के लिये प्रश्नाधीन भूमि का दोबारा सीमांकन किया जाना चाहिये । अतः तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सभी हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन किये जाने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर